अध्याय-VII
अन्य कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2011–12 में मनोरंजन कर एवं वन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में ₹ 539.95 करोड़ के कर एवं ब्याज को वसूल न किया जाना, राजस्व क्षति, निष्क्रिय निवेश आदि के 405 प्रकरण प्रकाश में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैः

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
मनोरंजन कर विभाग			
1.	ब्याज की वसूली न किया जाना	07	0.74
2.	कर की वसूली न किया जाना	15	0.29
3.	अन्य अनियमितताएं	14	15.54
	योग (अ)	**36**	**16.57**
वन विभाग			
1.	विविध हानियाँ/राजस्व क्षति	61	44.57
2.	निष्क्रिय निवेश,निष्क्रिय स्थापना,निधियों का अवरोधन	89	95.03
3.	लम्बित वसूलियाँ	13	4.39
4.	उद्देश्यों की प्राप्ति न होना	01	0.02
5.	अन्य अनियमितताएं	205	379.37
	योग (ब)	**369**	**523.38**
	महायोग (अ+ब)	**405**	**539.95**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने 51 प्रकरणों में निहित ₹ 7.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 11 प्रकरणों में निहित ₹ 4.33 करोड़ 2011–12 के दौरान तथा शेष विगत वर्षों में इंगित किये गये थे। विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान 40 प्रकरणों में ₹ 3 करोड़ वसूल किया, जो विगत वर्षों से सम्बन्धित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 82.88 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

7.2 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

नियंत्रक माँप एवं तौल, वन तथा मनोरंजन कर विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच में रायल्टी को कम वसूल किया जाना, माँप एवं तौल का सत्यापन न किया जाना, ब्याज को प्रभारित न किया जाना, निरर्थक व्यय आदि के मामले प्रकाश में आये जिनका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर अधारित हैं। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती हैं परन्तु ऐसी अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं, अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ करने की आवश्यकता है; जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

मनोरंजन कर विभाग

7.3 कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत सिनेमा मालिकों द्वारा सप्ताह की समाप्ति के तीन दिन के अन्दर तथा केबिल संचालकों द्वारा महीने की समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर मनोरंजन कर जमा करना होता है। उल्लघंन की दशा में सिनेमा मालिकों से प्रथम तीन माह के लिए 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से एवं उसके पश्चात दो प्रतिशत की दर से तथा केबिल संचालकों से दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज वसूली योग्य है।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी, मऊ के अभिलेखों[1] की लेखापरीक्षा (अप्रैल 2011) के दौरान हमने देखा कि दो सिनेमा मालिकों एवं दो केबिल संचालकों से देय (सितम्बर 2004 से अक्टूबर 2008) मनोरंजन कर ₹ 30.63 लाख दिसम्बर 2005 एवं जनवरी 2011 के मध्य जमा/संग्रहीत किया गया। विलम्ब एक माह से 68 माह तक था। ब्याज की धनराशि ₹ 21.03 लाख आरोपणीय होने पर भी विभाग द्वारा प्रभारित नहीं की गयी। बकाया पंजिका में विवरण उपलब्ध होते हुए भी विभागीय शिथिलता के कारण ₹ 21.03 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा सितम्बर 2011 में मामले को इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारी आपत्तियों को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2012) कि दो केबिल संचालकों से ₹ 5,031 ब्याज एवं एक सिनेमा मालिक से ₹ 6 लाख आंशिक ब्याज की वसूली कर ली गई है। शेष बकाये की वसूली की प्रक्रिया जारी है। वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

[1] बकाया पंजिका, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।

7.4 तेन्दू पत्ते पर रायल्टी का न वसूल किया जाना

शासनादेश संख्या 2109/14.02.2001–28/89 वन अनुभाग–2 दिनांक 25.07.2001 के अनुसार तेन्दूपत्ते की रायल्टी वन निगम द्वारा निम्नलिखित सूत्र (फार्मूले) के आधार पर देय थी:–

निर्धारण वर्ष की रायल्टी = पिछले वर्ष की रायल्टी + पिछले वर्ष निगम द्वारा बेचे गये तेन्दू पत्ते के भाव (विक्रय मूल्य) में जितने प्रतिशत की वृद्धि उससे पूर्व वर्ष के विक्रय मूल्य के सापेक्ष हुई हो, इस वृद्धि के बराबर धनराशि + निर्धारण वर्ष में तेन्दू पत्ते के बाजार भाव (विक्रय मूल्य) में हुई असाधारण वृद्धि के बराबर धनराशि।

रायल्टी निर्धारण के समय ऋणात्मक मूल्य वृद्धि, यदि हो, तो उसे भी हिसाब में लिया जायेगा।

दो वन प्रभागों[2] के अभिलेखों[3] की जाँच (फरवरी एवं मार्च 2011) तथा उनका उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि) से संग्रहीत सूचनाओं से मिलान (मई 2011) करने पर हमने देखा कि शासन द्वारा नियत सूत्र के अनुसार तेन्दू पत्तों की रायल्टी पुनरीक्षित करने के बजाय, वन विभाग द्वारा 2002–03 तक की रायल्टी सूत्र के अनुसार तथा वर्ष 2003–04 से 2009–10 के लिये अन्तरिम रायल्टी नियत किया गया। सूत्र के अनुसार 2003–04 से 2009–10 की अवधि के लिये इलाहाबाद परिक्षेत्र के सात प्रभागों[4] एवं झाँसी परिक्षेत्र के सात प्रभागों[5] द्वारा ₹ 96.36 करोड़ रायल्टी देय थी, परन्तु रायल्टी का वास्तविक भुगतान मात्र ₹ 49.72 करोड़ था। विभाग द्वारा सूत्र के अनुसार देय रायल्टी का आगणन न किये जाने के कारण जैसा कि **परिशिष्ट– XXIV** में वर्णित है, ₹ 46.64 करोड़ रायल्टी कम प्रभारित/वसूल हुई।

हमने मामले को दिसम्बर 2011 में विभाग/शासन को प्रेषित किया। हमे उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

7.5 निरर्थक व्यय

वानिकी मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक प्रजाति के पौधे दो साल में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त ऊँचाई प्राप्त करते हैं। दो वर्ष के पश्चात् पौधों का अस्तित्व सिंचाई, स्थानान्तरण, कटाई–छटाई तथा जड़ कटान आदि पर निर्भर करता है।

वन आच्छादन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार ने 12 फुट ऊँचाई के 30 करोड़ पौधों के रोपण की योजना तैयार की (दिसम्बर 2006) हालांकि राज्य में 2006–07 के दौरान केवल 10 करोड़ पौधे उगाये गये। शासन ने ₹ 24.83 करोड़ (2006–07 में उगाने हेतु मार्च 2007 में ₹ 12.33 करोड़ तथा 2007–08 एवं 2008–09 के दौरान रख–रखाव हेतु क्रमशः नवम्बर 2007 में ₹ 8 करोड़ तथा अप्रैल 2008 में ₹ 4.50 करोड़) अवमुक्त किया। 2006–07 में उगाये गये पौधों को 2009–10 में रोपित किया जाना था।

छः जिलों के वन प्रभागों के अभिलेखों[6] की हमारी जाँच (दिसम्बर 2009 से मार्च 2010) एवं एकत्र की गई (दिसम्बर 2011) जानकारी से पता चला कि योजना एक वर्ष बाद बन्द कर दी गई (नवम्बर 2007)।

---

[2] प्रभागीय वन कार्यालय–सोनभद्र एवं वाराणसी।
[3] तेन्दूपत्ता रायल्टी पत्रावलियां, रोकड़ बही एवं कोषागार विवरण।
[4] रेनूकूट, ओबरा, मिर्जापुर, सोनभद्र, कैमूर वन्यजीव, काशी वन्य जीव एवं इलाहाबाद।
[5] हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाँदा, ललितपुर, झाँसी एवं उरई/जालौन।
[6] 12 फुट ऊँचाई के पौधों की वृक्षारोपण पत्रावलियां, बिल्स एवं बाउचर, व्यय पत्रावलियाँ एवं कार्ययोजना पत्रावलियाँ।

फलस्वरूप रोपित न किये गये 39.29 लाख पौधों[7] को छोड़कर शेष उगाये गये पौधे या तो रोपित कर दिये गये या अन्य प्रभागों को स्थानान्तरित कर दिये गये (मार्च 2009)। शासन ने शेष बचे पौधों के रख–रखाव, सिंचाई, स्थानान्तरण, कटाई–छंटाई एवं जड़ कटान आदि के लिये 2009–10 हेतु बजट प्रावधान नहीं किया और ये अवशेष पौधे रोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये। इस प्रकार इन पौधों को उगाने एवं रख–रखाव पर 2006–09 के दौरान व्यय किये गये ₹ 97.44 लाख[8] बेकार हो गये।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् शासन ने बताया (अक्टूबर 2011) कि छः जिलों में मात्र 2.56 लाख पौधे अप्रयुक्त बने रहे तथा पौधों का रख–रखाव महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेण्ट गारण्टी स्कीम (मनरेगस) एवं अन्य योजनाओं से किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति, 2008–09 के अंत में अवशेष पौधों पर आधारित है जो 2009–10 एवं 2010–11 में रख–रखाव हेतु बजट की अनुपलब्धता के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त हो गये थे। इस तथ्य को हरदोई प्रभाग द्वारा स्वीकार किया गया, जहाँ किसी भी योजना के अन्तर्गत रख–रखाव हेतु कोई भी बजट प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह मेरठ प्रभाग में 6.18 लाख पौधों में से 5.28 लाख पौधों की क्षति, जिन्हें स्थानान्तरित किया जाना प्रदर्शित किया गया था, स्वीकार किया गया। काशा वन्य जीव वन प्रभाग, रामनगर, वाराणसी में मनरेगस के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु निधियाँ प्राप्त हुई थीं परन्तु प्रभाग से संकलित (मार्च 2012) कार्य योजना एवं बजट दस्तावेजों की प्रतियों में पाया गया कि ये धनराशियाँ ''बुन्देलखंड/विन्ध्याचल विशेष वृक्षारोपण अभियान'' के लिये अवमुक्त की गयी थीं न कि ''12 फुट वृक्षारोपण योजना'' के लिये। इस कार्ययोजना में 12 फुट वृक्षारोपण योजना के अनुरक्षण/वृक्षारोपण का कोई जिक्र नहीं था।

इस प्रकार 39.29 लाख पौधे जो 2009–10 एवं 2010–11 में रोपित होने से रह गये थे, आगे वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं थे और इन पौधों पर किया गया व्यय ₹ 97.44 लाख निरर्थक रहा।

7.6 आवश्यकता के बिना नये पौधे उगाने पर परिहार्य व्यय

सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत (मार्च 2003) वृक्षारोपण संहिता के अनुसार पौधशालाओं में आवश्यकता से 35 प्रतिशत अधिक पौधे उगाये जाने चाहिए।

वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा के अभिलेखों[9] की जाँच (अप्रैल 2011) के दौरान हमने देखा कि 2009–10 के आरम्भ में वृत्त के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चार सामाजिक एवं वानिकी वन प्रभागों[10] की पौधशालाओं में वृक्षारोपण हेतु 2009–10 के पूर्व उगाये गए 107.56 लाख पौधे उपलब्ध थे। वन संरक्षक, आगरा वृत्त ने अतिरिक्त प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, लखनऊ को सूचित किया (नवम्बर 2009) कि वृत्त के पौधशालाओं में आवश्यकता के अनुसार पुराने पौधों की उपलब्धता के कारण नये पौधों को उगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सूचना के बावजूद मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने, इस अभ्युक्ति के साथ कि 2010 की वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किये जाने हेतु उचित ऊँचाई के पौधों की आवश्यकता होगी, अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए यह उचित नहीं होगा कि पौधशालाओं में पौधों को उगाने के लक्ष्य में कमी की जाय, 2009–10 में

---

[7] आगराः 10.73 लाख, बहराइच 0.83 लाख, हरदोई 1.09 लाख, कानपुर देहात 5.45 लाख, मेरठ 9.74 लाख एवं वाराणसी 11.45 लाख।

[8] ₹ 39.29 लाख x ₹ 2.48 प्रति पौधा = ₹ 97.44 लाख।

[9] वन प्रभागों द्वारा भेजी गई विवरणियाँ, वृक्षारोपण पत्रावलियाँ एवं पत्राचार पत्रावलियाँ।

[10] आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं मथुरा।

सामाजिक वानिकी तथा पौधशाला प्रबन्धन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं के अन्तर्गत वृत्त के पौधशालाओं में 33.99 लाख नये पौधे उगाने हेतु ₹ 63.48 लाख स्वीकृत तथा अवमुक्त किया (मार्च 2010)। तद्नुसार प्रभागों ने 2009–10 में 33.99 लाख पौधों को उगाने पर ₹ 63.48 लाख व्यय किये तथा आगे 2010–11 एवं 2011–12 में उनके रख–रखाव पर ₹ 49.09 लाख खर्च किये।

अप्रैल 2009 में वृत्त के पास उपलब्ध 107.56 लाख पुराने पौधों में से 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः मात्र 30.63 लाख, 20.69 लाख एवं 19.66 लाख पौधों का उपयोग किया गया तथा 2011–12 के अन्त में 36.58 लाख पौधे शेष बचे रहे। लेखापरीक्षा का मुख्य सरोकार 33.99 लाख पौधों से है जिन्हें 2009–10 में उगाया गया था। इस प्रकार, कुल 70.57 लाख पौधे (पूर्ववर्ती शेष के रूप में 36.58 लाख पौधे + 2009–10 में उगाये गये 33.99 लाख पौधे) जैसा कि **परिशिष्ट–XXV** में प्रदर्शित है, 2011–12 के अन्त में अप्रयुक्त बने रहे।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2011) पर वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने बताया (अप्रैल 2012) कि विभाग द्वारा 2010–11 में नये पौधों को उगाने का लक्ष्य घटाकर शून्य कर दिया गया था। वन संरक्षक, आगरा का उत्तर स्वयं लेखापरीक्षा की आपत्ति, कि 2009–10 में उगाये गये पौधे अनावश्यक थे, की पुष्टि करता है।

इस प्रकार वृत्त ने बिना आवश्यकता के नये पौधों को उगाने एवं रख–रखाव पर ₹ 1.13 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

7.7 यूजर चार्जेस का कम आरोपण

रोगियों को बेहतर गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश सं0 984/5–1–2000–4(80)/95 दिनांक 28.06.2000 द्वारा सरकारी चिकित्सालयों/ औषधालयों (सरकारी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर) में यूजर चार्जेस लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी। उक्त वृद्धि वर्ष 2004 में शासनादेश सं0 4544/5–1–2003–4(143) दिनांक 31.12.2003 तथा 2008–09 व आगे के वर्षों के लिए शासनादेश सं0 595/5–1–08–4(80)/95 दिनांक 29.04.2008 द्वारा रोक दी गई थी और दिनांक 28 जून 2000 के आदेश की दूसरी सभी नियम एवं शर्ते पुर्नस्थापित कर दी गयी। शासनादेश दिनांक 28 जुन 2000 के द्वारा निर्धारित ग्रमीण व शहरी दोनो क्षेत्रों में ओ पी डी पंजीयन शुल्क शासनादेश सं0 3090/5–1–2003–4(80)/95 दिनांक 30.08.2003 द्वारा कम करके ₹ 1 निर्धारित किया गया । पुनः शासनादेश सं0 984/5–1–2000–4(80)/95 दिनांक 28.06.2000 की सभी नियम एवं शर्ते शासनादेश सं0 595/5–1–08–4(80)/95 दिनांक 29.04.2008 (प्रस्तर–5) द्वारा पुर्नस्थापित कर दी गयी।

हमने 251 मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012 के मध्य जाँच में, रजिस्टरों व सहायक रोकड बही के परीक्षण में पाया कि इन अस्पतालों/ औषधालयों[11] ने अप्रैल 2005 से मार्च 2012 के बीच आरोपणीय यूजर चार्जेस ₹ 59.46 करोड़ के विरूद्ध ₹ 30.47 करोड़ आरोपित किया। यूजर चार्जेस के पुनरीक्षित दर के बजाय बढोत्तरी पूर्व दर आरोपित किये जाने से, सारणी में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 28.99 करोड़ यूजर चार्ज का कम आरोपण हुआ:

(₹ में)

विवरण	प्रकरणों की संख्या	वसूलनीय शुल्क	आरोपित शुल्क	अन्तर
मेजर आपरेशन	1,25,370	7,05,39,696	4,82,06,988	2,23,32,708
मध्यम आपरेशन	79,821	2,83,56,084	2,03,38,980	80,17,104
माइनर आपरेशन	1,52,516	1,48,41,353	96,92,372	51,48,981
मेडिको लीगल	12,45,519	11,38,80,059	6,60,51,208	4,78,28,851
ई0सी0जी0	41,109	35,25,772	28,39,532	6,86,240
एक्स–रे	5,57,408	2,90,99,217	2,31,96,751	59,02,466
अल्ट्रासाउण्ड	1,02,983	2,53,94,588	1,99,00,287	54,94,301
भर्ती	8,50,021	3,52,93,117	2,68,40,721	84,52,396
सी0टी0 स्कैन[12]	4,251	46,25,138	32,20,734	14,04,404
परीक्षण		1,65,17,862	1,48,88,958	16,28,904
ओ पी डी	6,94,92,668	25,25,45,881	6,95,14,956	18,30,30,925
योग		**59,46,18,767**	**30,46,91,487**	**28,99,27,280**

[11] इलाहाबाद (20), अलीगढ (13), औरैया (4), बलिया (2), बरेली (10), चित्रकूट (4), देवरिया (16), एटा (5), इटावा (8), गाजियाबाद (8), गाजीपुर (15), हाथरस (5), जालौन (1), जौनपुर (15), झाँसी (10), कानपुर (7), ललितपुर (5), लखनऊ (11), महोबा (1), मैनपुरी (7), मेरठ (11), मुजफ्फरनगर (15), पीलीभीत (6), प्रतापगढ (12), रायबरेली (18), रामपुर (7) और वाराणसी (15)।

[12] मुचिअधी0 बलरामपुर, एसपीएम, लखनऊ, मुचिअधी0 (पु0) गाजियाबाद, मुचिअधी0 (पु0) कानपुर, मुचिअधी0 (पु0) रायबरेली, मुचिअधी0 (डीडीयू) वाराणसी और मुचिअधी0 बेली, इलाहाबाद।

हमने मई 2008 से मार्च 2011 के मध्य यह भी पाया कि 186 अस्पतालों / औषधालयों[13] ने निर्धारित दर से अधिक दर पर यूजर चार्जेस आरोपित किया। इन अस्पतालों ने पुनरीक्षित फीस ₹ 3.58 करोड़ के विरूद्ध ₹ 4.89 करोड़ आरोपित किया। स्थानीय स्तर पर मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी करने से सरकार के आदेश का उल्लंघन हुआ और निम्न विवरण के अनुसार ₹ 1.32 करोड़ का यूजर चार्जेस अधिक आरोपित किया गया:

(₹ में)

विवरण	प्रकरणों की संख्या	वसूलनीय शुल्क (अ)	आरोपित शुल्क (ब)	अतिरिक्त आरोपित (ब–अ)
ई0सी0जी0	15,453	7,72,650	10,79,502	3,06,852
एक्स–रे	2,98,843	89,65,290	1,19,95,304	30,30,014
अल्ट्रासाउण्ड	5,346	5,34,600	10,69,958	5,35,358
भर्ती	11,27,672	2,55,06,457	3,47,84,913	92,78,456
योग	**14,47,314**	**3,57,78,997**	**4,89,29,677**	**1,31,50,680**

हमारे द्वारा इन्हें इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि स्पष्ट पुनरीक्षित आदेश निर्गत किया जायेगा। सच्चाई यह कि ₹ 28.99 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी थी। यह भी कि अधिक आरोपित यूजर चार्जेस ₹ 1.32 करोड़ वापस नहीं किया जा सकता और जनता पर बोझ कम करने के सरकारी आदेश का उद्देश्य शून्य रहा। सरकार के पास यूजर चार्जेस के सरकारी आदेश को जाँच कर लागू करने का कोई तंत्र नहीं था।

7.8 रक्त व रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर सर्विस चार्ज का कम आरोपण

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 23 जनवरी 2008 द्वारा सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक द्वारा रक्त एव रक्त अवयव प्रदान करने पर ₹ 850 प्रति यूनिट की दर से सर्विज जार्च लागू किया गया था। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के परिपत्र सं0 स्था0 सं0 438 / पांच–1–08 दिनांक 18 अप्रैल 2008 द्वारा जारी किये गये थे।

हमने 22 मुख्य चिकित्सा अधीक्षको (मुचिअधी0)[14] के अप्रैल 2005 और मार्च 2011 के अभिलेखों की जाँच में पाया कि अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2010 के दौरान 57,618 यूनिट रक्त व रक्त अवयवों को निर्गत करने से सर्विस चार्ज के आरोपणीय धनराशि[15] ₹ 4.90 करोड़ के विरूद्ध ₹ 2.25 करोड़ आरोपित किया गया। फलस्वरूप **परिशिष्ट–XXVI** में दर्शाये गये विवरण के अनुसार रक्त व रक्त अवयवों के ट्रान्सफ्यूजन पर सर्विस चार्ज के रूप में ₹ 2.65 करोड़ कम आरोपित हुआ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात इकाइयों ने उत्तर में कहा कि 24 महीने बाद आदेश प्राप्त हुआ था। शासन ने हानि को स्वीकार किया और संबंधित कर्मचारी से वसूली के आदेश (जुलाई 2011) दिये और आश्वस्त किया कि भविष्य में सरकारी आदेश वेवसाइट पर डाले जायेगें । वसूली संबंधी सूचना प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[13] इलाहाबाद (15), अलीगढ (11), औरैया (2), बरेली (7), चित्रकूट (2), देवरिया (9), एटा (3), इटावा (5), गाजियाबाद (14), गाजीपुर (10), हाथरस (5), जालौन (1), जौनपुर (14), झाँसी (7), कानपुर (10), ललितपुर (5), लखनऊ (12), महोबा (2), मैनपुरी (5), मेरठ (6), मुजफ्फरनगर (7), पीलीभीत (8), रायबरेली (10), रामपुर (6) और वाराणसी (10)।

[14] मुचिअधी0 (पु0) अलीगढ, बरेली, बलरामपुर, देवरिया, एटा, इटावा, गाजीपुर, जौनपुर, झाँसी, कानपुर, ललितपुर, मैनपुरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, वाराणसी, मुचिअधी0, एम0एल0एन0, इलाहाबाद, मुचिअधी0 एम0एम0जी0, गाजियाबाद, मुचिअधी0, आर0एम0एल0, लखनऊ एवं मुचिअधी0, एस0पी0एम0, लखनऊ।

[15] चार्जेस देय ₹ 850 प्रति यूनिट, वास्तविक आरोपित ₹ 250 और ₹ 500 प्रति यूनिट की दर से।

7.9 पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पी एन डी टी) नियमो का अनुपालन नहीं किया जाना

7.9.1 बिना पंजीकरण के प्रतिष्ठानों के संचालन पर शास्ति का अनारोपण

अल्ट्रा साउन्ड की सुविधा उपलब्ध करा रहे केन्द्रों/संस्थानों का पंजीकरण समुचित प्राधिकारी द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमावली, 1996 के अर्न्तगत किया जाता है। उक्त नियमावली के नियम 11 मे किसी अल्ट्रा साउण्ड मशीन, स्कैनर, या कोई अन्य उपकरण, अपंजीकृत संगठन द्वारा उपयोग करते पाये जाने पर, सील व जब्त करने का प्रावधान है। जब्त की गई मशीन को पंजीकरण फीस के पाँच गुना शास्ति के भुगतान के बाद छोड़ा जा सकेगा ।

हमने 16 मुख्य चिकित्सा अधिकारियो[16] (मुचिअ0) के अक्टूबर 2010 से सितम्बर 2012 के मध्य जाँच में अल्ट्रा साउण्ड केन्द्र के पंजीकरण रजिस्टर में पाया कि अप्रैल 2005 और सितम्बर 2012 के मध्य 226 केन्द्र/संस्थान पंजीकरण वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् नवीनीकृत किये गये। विलम्ब की अवधि एक से 24 माह रही। नियम 11 के अनुसार, विभाग को इन प्रकरणो में पंजीकरण फीस का पांच गुना शास्ति आरोपित करनी चाहिये थी। हमने पाया कि उन पर न तो शास्ति लगायी गयी न ही उनकी मशीन जब्त की गई। बिना वैध पंजीकरण के इन केन्द्रों/संस्थानों के चलते रहने से पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक नियमावली, 1996 के दुरूपयोग के अतिरिक्त ₹ 40.95 लाख की शास्ति वसूल नही हो पाई।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पी एन डी टी नियमावली, 1996 के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी[17] कर दिये गये हैं। दो इकाइयों[18] ने आपत्ति को माना और उत्तर दिया कि देय शास्ति ₹ 5.91 लाख आरोपित की गई और बैंक में जमा करा दी गई है। इस संबंध में अन्य वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.9.2 पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) नियम, 1996 के नियम 4, 5(अ) और 5(ब) के अनुसार जेनेटिक परामर्श केन्द्र, जेनेटिक प्रयोगशाला, जेनेटिक क्लीनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लीनीक या इमेजिंग केन्द्र की पंजीकरण फीस ₹ 3000 और अस्पताल/नर्सिंग होम या उक्त सेवाओं के संयुक्त रूप से संचालन की पंजीकरण फीस ₹ 4000 है। इस उददेश्य के लिए पंजीकरण का आवेदन समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र निर्गत होने के तिथि से पॉच वर्ष के लिए वैध होगा।

हमने 11 (मुचिअ0)[19] के अल्ट्रा साउण्ड पंजीकरण रजिस्टर की नमूना जांच में पाया कि 329 अस्पतालों/नर्सिंग होमों या अल्ट्रा साउण्ड केन्द्रों जो कि अल्ट्रासाउण्ड के साथ अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करा रहे हैं, ने निर्धारित ₹ 4000 के स्थान पर ₹ 3000 प्रति केन्द्र की दर से फीस जमा किया है। हमने यह भी देखा कि तीन जनपदो[20] ने इन्ही सुविधाओ के

[16] अलीगढ, अम्बेडकरनगर, औरैया, बांदा, बरेली, चित्रकूट, एटा, इटावा, गाजीपुर, हाथरस, जौनपुर, मैनपुरी, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ एवं रामपुर।

[17] डीजी पत्र सं0 प0क0/10–जे0डी0/05/2011/3900–16 दिनांक 18 जुलाई 2011।

[18] सीएमओ बरेली और प्रतापगढ।

[19] अलीगढ, बरेली, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, पीलीभीत, प्रतापगढ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर एवं झॉसी।

[20] एटा, मुजफ्फरनगर एवं प्रतापगढ़।

लिए सही पंजीकरण फीस ₹ 4000 की दर से जमा किया था। नियमो का अनुपालन न करने के फलस्वरूप ₹ 3.18 लाख कम जमा हुआ। जैसा कि **परिशिष्ट–XXVII** मे वर्णित है।

हमारे यह इंगित करने पर शासन ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को नियमो के अनुसार कार्यवाही के निर्देश जारी[21] कर दिये गये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ और वाराणसी ने निरीक्षण को माना और उत्तर दिया कि ₹ 40,000 अस्पताल/नर्सिग होम केन्द्रो से वसूल कर जमा कर दिया गया है। वसूली के संबंध में प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.10 निष्प्रयोज्य/बेकार वाहनों का निस्तारण न किया जाना

सरकार के आदेश सं0 1288(II)/30–4–2002–24 केएम/76 दिनांक 11 जून 2002 द्वारा सभी विभागों के निर्देश जारी कर कहा कि सभी आफ रोड वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी करें।

हमने 12 मुख्य चिकित्सा अधिकारियो[22] और उनके अधीनस्थ स्वास्थ्य केन्द्रो तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के अभिलेखों की जांच में पाया कि 112 वाहन 5 से 20 वर्षों से चलने की स्थिति में नहीं है। शासन के आदेश के अनुसार जो वाहन प्रयोग में नहीं हैं उन्हें नीलामी के द्वारा बेच दी जानी चाहिए। 62 वाहन जो कि 1992 से 2010 के मध्य निष्प्रयोज्य घोषित हो गये थे, अभी तक नीलाम नहीं किये गये थे, जिनका मूल्य ₹ 17 लाख था लेकिन ये 62 वाहन अभी तक नीलाम नहीं किये गये थे। शेष 50 वाहनों के जिनके कम से कम मूल्य ₹ 13 लाख[23] है के निष्प्रयोजनीकरण की प्रकिया नहीं आरम्भ की जा सकी जो कि 5 से 20 वर्षों से प्रयोग में नही थे । इन वाहनो को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनके नीलामी मे लगे लम्बे समय के कारण उनकी दशा में आगे खराबी आई और उनसे वसूली योग्य सकल मूल्य ₹ 30.39 लाख की राजस्व में कमी आई।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने उत्तर दिया कि सभी संबंधित को तुरन्त कार्यवाही के निर्देश जारी[24] कर दिये गये है। हमारे विचार से विभाग को इन वाहनो का समयबद्ध निस्तारण/नीलामी सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यवाही किये जाने का विवरण प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

7.11 साइकिल स्टैण्ड की नीलामी से राजस्व की वसूली न हो पाना

अस्पताल परिसर में वाहनो के सुचारू संचालन के लिए साइकिल स्टैण्ड एक आवश्यक अंग है, यह न केवल एम्बुलेन्स बल्कि रोगियों, डाक्टरों व अस्पताल के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक है। नीलामी, ठेकेदार को खुली संविदा द्वारा, एक वर्ष हेतु की जाती है। अनुबन्ध दिनांक 18 अप्रैल 2008 के पैरा 5 के अनुसार ठेकेदार को बिड की धनराशि किस्तो में जमा करने की अनुमति थी, उल्लंघन करने पर ब्याज भी देय था। अनुबन्ध के पैरा 9 के अनुसार ठेकेदार को कार, मोटर साइकिल और साइकिल के लिए क्रमश ₹ 3, ₹ 2 और ₹ 1 की दर से पार्किंग फीस वसूला।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बरेली के अभिलेखों में हमने पाया कि वर्ष 2008–09 में एक ठेकेदार को उसके उच्चतम बोली ₹ 8 लाख में साइकिल स्टैण्ड का

[21] डी.जी पत्र संः प0क0/10–जे0डी0/05/2011/3891–8 दिनांक 18 जुलाई 2011।
[22] इलाहाबाद, बरेली, चित्रकूट, इटावा, जालौन, जौनपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली एवं रामपुर।
[23] आंकलित प्रति वाहन ₹ 25,000।
[24] डीजी पत्र सं0 15फ/120 बी/एम/11/421 दिनांक 19 जुलाई 2011।

आवंटन किया गया था । अनुबन्ध के अनुसार ठेकेदार को दिनांक 24 अप्रैल 2008 को ₹ 2 लाख तथा शेष धनराशि को तीन बराबर किस्तों में दिनांक 31 जुलाई 2008, 31 अक्टूबर 2008 और 31 जनवरी 2008 पर जमा करने की छूट प्रदान की गई थी उक्त के असफल होने पर संविदा को खत्म हो जाना था । किन्तु ठेकेदार ने उक्त शर्तो का उल्लंघन कर मात्र ₹ 1 लाख दिनांक 24 अप्रैल 2008 तक और कुल ₹ 2.9 लाख फरवरी 2009 तक जमा किया । ठेकेदार द्वारा अनियमित रुप से किस्त जमा किये जाने व कुल धनराशि ₹ 7.8 लाख[25] के नहीं जमा करने के वावजूद संविदा को समाप्त नही किया गया था। ठेकेदार जुलाई 2009 तक स्टैण्ड चलाता रहा और जनता से पार्किंग फीस वसूलता रहा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बरेली ने अप्रैल 2009 में ₹ 5.1 लाख के वसूली प्रमाणपत्र जारी किये।

हमारे यह इंगित करने पर शासन (जुलाई 2011) ने उत्तर दिया कि जिलाधिकारी को भू–राजस्व की तरह कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके है। जबकि अभी तक वसूली नही हुयी है (फरवरी 2013)।

गन्ना विकास विभाग

7.12 गन्ना क्रय कर, अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कारखाने के मालिक द्वारा क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर गन्ना क्रय कर (ग0क्र0क0) आरोपित एवं संग्रहीत किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये जिलाधिकारी निर्धारण प्राधिकारी है।

उप धारा (3) प्रावधानित करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कोई कर यदि उसके लिये नियत भुगतान की तिथि तक अदा नहीं किया गया हो, तो ऐसी तारीख से भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर ब्याज देय होगा।

आगे उपधारा (4) प्रावधानित करता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कोई कर या उसका ब्याज या दोनों, जैसा भी प्रकरण हो, उसके भुगतान हेतु नियत तिथि के बाद 15 दिन से अधिक अवधि तक बिना भुगतान के बना रहता है, तो उसका भुगतान करने के लिये जिम्मेदार व्यक्ति जैसा नियत किया जाय उस दर से, आगणित दण्ड का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

हमने मेसर्स अकबरपुर चीनी मिल्स लि0 मिझोरा, अम्बेडकर नगर (बलरामपुर चीनी मिल्स लि0 की एक इकाई) के अभिलेखों[26] से देखा (मई 2010) कि पेराई सत्र 2006–07 के दौरान 22.02.2007 तक (23.02.2007 के पहले की तिथि जिस दिन चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 की शर्तों के अन्तर्गत मिल को गन्ना क्रय कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ) चीनी मिल द्वारा 69,04,746.76 कुन्तल गन्ना क्रय किया गया। गन्ने की उपरोक्त मात्रा पर ₹ 1.38 करोड़ की धनराशि गन्ना क्रय कर के रूप में आरोपणीय थी, जिसके विरूद्ध चीनी मिल द्वारा मात्र ₹ 61.80 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार गन्ना क्रय कर की शेष धनराशि ₹ 76.29 लाख एवं उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज आरोपित/वसूल नहीं किया गया।

[25] ₹ 5.10 लाख 2008–09 के लिए और ₹ 2.70 लाख अप्रैल 2009 से जुलाई 2009 तक के लिए।
[26] गन्ना क्रय पंजिका, गन्ना क्रय कर पंजिका एवं बकाया पंजिका।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (सितम्बर 2011) के पश्चात विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि गन्ना क्रय कर की शेष धनराशि ₹ 76.29 लाख एवं भुगतान न किये गये कर पर एक प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड के रूप में ₹ 76,000 की एक अतिरिक्त धनराशि जनवरी 2012 में वसूल की गई। ₹ 34.41 लाख के ब्याज की धनराशि फिर भी प्रभारित एवं संग्रहीत नहीं की गई।

बाट एवं माप विभाग

7.13 आटो रिक्शा से मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क वसूल न किया जाना

हमने चार स0प0का0[27] एवं पाँच स0स0प0का0[28] के अभिलेखों[29] की जाँच किया (जून 2011 से मार्च 2012) और देखा कि जून 2008 से फरवरी 2012 की अवधि के दौरान 26,677 आटो रिक्शा बिना मीटर सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये पंजीकृत किये गये। बाट एवं माप विभाग तथा परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी थी जिसके कारण बाट एवं माप विभाग मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क वसूल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप मीटर सत्यापन एवं मुद्रांकन शुल्क ₹ 25.03 लाख वसूल नही किया गया।

उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 के नियम 17(1) के अन्तर्गत प्रतिस्थापित बारहवी अनुसूची के अनुसार आटो रिक्शा में तय की गई दूरी की माप के लिये मीटर लगाया जाना चाहिए एवं ऐसे लगे हुए मीटर के सत्यापन एवं मुद्रांकन के लिए शुल्क के रूप में ₹ 50 देय है।
पुनश्च, उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985, की धारा 24 प्रावधानित करता है कि किसी भी संव्यवहार या औद्योगिक उत्पादन अथवा सुरक्षा के लिए प्रयुक्त अथवा प्रयोग किये जाने हेतु आशयित प्रत्येक बाट अथवा माप को कम से कम वर्ष में एक बार सत्यापित अथवा पुर्नसत्यापित एवं मुद्रांकित किया जायेगा।

हमने प्रकरण को जुलाई 2011 से अप्रैल 2012 की अवधि में विभाग/शासन को सूचित किया विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि आटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्तियों के लिये मीटर सत्यापित कराना अनिवार्य है तथा यह कि स0प0का0/स0स0प0का0 से पंजीकृत आटो रिक्शा की सूचनाओं के प्रतिसत्यापन की कोई प्रणाली नहीं है।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग स0प0का0/स0स0प0का0 के साथ प्रतिसत्यापन की प्रणाली विकसित करें ताकि मीटर सत्यापन किया जाय और राजस्व वसूल हो।

[27] आटोरिक्शा की पंजीयन पत्रावलियाँ, वाहनों का डाटाबेस।
[28] स0प0का0– आजमगढ़, बरेली, बाँदा एवं अलीगढ़।
[29] स0स0प0का0– गौतमबुद्धनगर, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद, देवरिया एवं बुलन्दशहर।

7.14 शुल्क/अतिरिक्त शुल्क की वसूली न किया जाना

मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (मा0बा0 एवं मा0) के प्रावधानों के साथ पठित उत्तर प्रदेश मानक बाट एवं माप नियमावली, 1990 (उ0प्र0 मा0बा0 एवं मा0) के नियम 14 एवं 15 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व, नियंत्रण अथवा संरक्षण में कोई बाट एवं माप (क्षमता मापक संग्रहण टैंक, लारीज एवं डिस्पेंसिंग माप आदि) हो, जिसे किसी लेनदेन या औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करता हो, या उपयोग करने वाला हो, को सत्यापन या पुर्नसत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा और इन्हें पाँच वर्ष में कम से कम एक बार, जैसा भी मामला हो, निर्धारित फीस का भुगतान करके मुद्रांकित करायेगा। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर धारा 47 के अन्तर्गत अर्थदण्ड, जिसे ₹ 500 तक बढ़ाया जा सकता है, देय होगा। पुनश्च, उ0प्र0मानक बाट एवं माप नियमावली के नियम 17(3) के अन्तर्गत उ0प्र0मा0बा0मा0नि0 की अनुसूची बारह में निर्दिष्ट दर के आधी दर पर अतिरिक्त शुल्क भी पुर्नसत्यापन हेतु वैधता अवधि के समाप्ति के पश्चात वर्ष के प्रत्येक त्रैमास या उसके भाग के लिये देय होगा।

जून 2010 एवं दिसम्बर 2010 के मध्य, दो आसवनियों[30] के अभिलेखों[31] की नमूना जाँच में हमने देखा कि बाट एवं माप विभाग द्वारा सत्यापन किये बिना इन आसवनियों में संग्रहण सहित जैसे टंकियाँ/टैंकों का उपयोग उनकी स्थापना के समय से ही हो रहा था। विभाग ने जैसा कि नियम 15(7) में अभिलिखित है, के अनुसार सत्यापन/ पुर्नसत्यापन के लिये निरीक्षण नहीं किया और उपयोगकर्ताओं ने भी जैसा कि नियम 15(1) में अभिलिखित है के अनुसार वैट्स/संग्रहण टैंकों का सत्यापन नहीं कराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपणीय शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क की धनराशि ₹ 11.59 लाख[32] साथ में अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर आरोपणीय अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी। पुनश्च, वैट्स/संभरण टैंकों का अंशशोधन न करने से इनमें संग्रहीत मदिरा के आयतन के गलत निर्धारण का खतरा बना रहा जिसके परिणामस्वरूप गलत आबकारी शुल्क का निर्धारण हो सकता है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (दिसम्बर 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) के पश्चात शासन ने हमारी आपत्ति कि जाँच नहीं की गयी थी, को स्वीकार किया और अक्टूबर 2012

---

[30] (i) जैन आसवनी, नगीना रोड़, बिजनौर जनवरी 2008 में स्थापना के समय से सत्यापित नहीं।
(ii) बलरामपुर चीनी मिल, गोण्डा 1999 से सत्यापित नहीं।

[31] अनुज्ञापनों एवं प्रमाण–पत्रों की पत्रावली, डिप बुक्स, वैट्स/टैंकों की रख–रखाव पत्रावली।

[32]

(धनराशि ₹ में)

आसवनी/ चीनी मिल का नाम	वैट्स/टैंकों की संख्या	वैट/टैंक की क्षमता के अनुसार सत्यापन शुल्क	वर्ष जब सत्यापन होना था	विलम्ब की अवधि	विलम्ब त्रैमासों में	देय सत्यापन शुल्क	विलम्बित अवधि हेतु देय अतिरिक्त शुल्क	कुल न वसूला गया शुल्क
जैन आसवनी, बिजनौर	14	2,454 से 5,000	जनवरी 2008	जनवरी 2008 से दिसम्बर 2011	16	52,354	4,18,832	4,71,186
बलरामपुर चीनी मिल, गोण्डा	5	5,000	जनवरी 1999	जनवरी 1999 से फरवरी 2012	53	25,000	6,62,500	6,87,500
योग	**19**					**77,354**	**10,81,332**	**11,58,686**

में बताया कि जून 2012 में जाँच किये जाने के पश्चात् पहली आसवनी ने देय शुल्क के रूप में ₹ 4.43 लाख जमा कर दिया। दूसरी आसवनी के मामले में ₹ 7.63 लाख की माँग की गई, यद्यपि प्रकरण अब न्यायालय में है। चूँकि राज्य में स्थित आसवनियों एवं चीनी मिलों की संख्या भलीभाँति ज्ञात है, विभाग द्वारा नियमानुसार नियमित रूप से संभरण वैट्स/टैंकों का निरीक्षण एवं सत्यापन किये जाने की हम संस्तुति करते हैं।

लखनऊ,
दिनांकः

(डा0 स्मिता एस0 चौधरी)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
उत्तर प्रदेश

प्रति हस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांकः

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक